न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री सांलुखे गौरव रविन्द्र, आई.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
श्री डुंगाराम गोदी पुत्र स्व. श्री ओदा जी, जाति गरासिया, निवासी क्यारा, मुदरला		श्रीमती पाबु बाई पत्नि श्री गोमाराम, जाति गरासिया, निवासी दांताफली, माण्ड्वाड़ा खालसा, तहसील पिण्डवाड़ा व अन्य – 9

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद 10/2022

दिनांक 9 /3 /2024

उपस्थित :–

1. **श्री प्रभुराम ग्रासिया, अधिवक्ता वादी**
2. **श्री शरदपाल सिंह, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 9**

–: निर्णय :–

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादी मृतक ओदा वल्द साजा का गोदी पुत्र है। किन्तु तत्समय वादी की प्राकृतिक माता प्रतिवादी संख्या 01 व गोदी पिता श्री ओदा की अज्ञानता एवं अनपढता के कारण गोदनामा निष्पादित नही करवाया था, इस कारण वादी की प्राकृतिक माता एवं गांव के दो मौजिज वरिष्ठजनों से वादी स्व. श्री ओदा पुत्र साजा का गोदीपुत्र होने के संबंध में शपथ पत्र निष्पादित कर वाद पत्र के संलग्न किये है। यह कि वादी मृतक ओदा वल्द साजा का एक मात्र वारीसान उत्तराधिकारी है, इस कारण यह वाद वास्ते खातेदारी अधिकारी की घोषणा हेतु पेश किया गया है। यह कि मौजा ग्राम क्यारा, पटवार क्षेत्र आमथला, तहसील देलदर में वादी की पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खसरा नंबर 173/102 कुल क्षेत्रफल 1.2645 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के गोदी पिता स्व. ओदा वल्द साजा का नाम दर्ज है, जिनकी अविवाहित, नाऔलाद मृत्यु हो चुकी है एवं वादी के अलावा ओदा के अन्य कोई उत्तराधिकारी वारीस नही है। यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 09 चचेरे भाई लगते है और वादी के प्राकृतिक पिता काना की मृत्यु उसके बाल्यकाल में ही हो गई थी एवं प्रतिवादी संख्या 01 श्रीमती पाबु बाई ने वादी के जन्म के बाद लगभग 07–08 वर्ष की उम्र तक वादी को पालपोस कर बड़ा किया फिर अपने जेठ श्री ओदा पुत्र साजा को वादी को गोदी पुत्र के रूप में सुपुर्द किया था एवं समाज में प्रचलित रूढि एवं प्रथा अनुसार गोद की रस्म निभाने हेतु सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पारिवारिक सदस्यों , गांव व समाज के लोगो को एकत्रित कर उनकी मौजुदगी में वादी श्री ओदा को गोद गया था। यह कि वादी स्व. श्री ओदा पुत्र साजा का एकमात्र विधिक वारीसान उत्तराधिकारी है वादी का प्राकृतिक पिता श्री काना एवं गोदी पिता श्री ओदा आपस में सगे भाई थे, इस कारण वादी का मृतक स्व. श्री ओदा पुत्र साजा से रक्त संबंध एवं नातेदारी है तथा वादी विवादित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज है। यह कि वादी स्व. श्री ओदा पुत्र साजा का गोदी पुत्र होने से एवं वाद पत्र में वर्णित वंशावली अनुसार निकटतम नातेदारी व रक्त संबंध होने के कारण खातेदारी की घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी को स्व. श्री ओदा से उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई खसरा नंबर 173/102 कुल क्षेत्रफल 1.2645 हैक्टेयर सम्पूर्ण कृषि भूमि का खातेदार घोषित करने तथा वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज करवाने हेतु वादी द्वारा पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.03.12 16:19:02 IST
Reason: SelfAttested

हमने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करें। प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाब पेश कर कथन किया कि उसका विवाह श्री काना पुत्र साजा के साथ सम्पन्न हुआ था, प्रतिवादी संख्या 01 के पति एवं वादी के प्राकृतिक पिता काना पुत्र साजा की मृत्यु युवास्था में ही हो गयी थी, जिनकी मृत्यु के समय वादी प्रतिवादी संख्या 01 के गर्भ में था।

प्रतिवादी संख्या 01 श्रीमति पाबु बाई ने वादी के जन्म के बाद लगभग 07–08 वर्ष की उम्र तक वादी का पालपोस कर बड़ा किया फिर अपने जेठ श्री ओदा पुत्र साजा जो अविवाहित थे, उन्हे वादी को गोदी पुत्र के रूप में सुपुर्द किया था। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने जवाबदावें में वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर अनुग्रहित कराने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या 02 से 09 ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादी उनका चचेरा भाई है। यह कि वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 2 से 9 को कोई आपत्ति नही है। यह कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर वादी एवं इसके गोदी पिता ओदा वल्द साजा कृषि कार्य करते थे।

स्टेट के जवाबदावे में अंकन है कि ग्राम क्यारा पटवार मण्डल आमथला तहसील देलदर के खसरा नंबर 173/102 खातेदार ओदा पुत्र साजा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, ओदा वल्द साजा की मृत्यु हो चुकी है एवं इनके कोई जाइंदा पुत्र–पुत्रियां नही है क्योंकि ओदा की अविवाहित लाऔलाद मृत्यु हो चुकी थी।

हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं लिये गये बयान का गहनता से अवलोकन किया एवं वकील पक्षकारान की सुनी गई बहस पर भी मनन किया तथा पाया कि ओदा वल्द साजा की अविवाहित मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण के जवाब से स्पष्ट है कि वादी का मृतक ओदा वल्द साजा से रक्त संबंध एवं नातेदारी है एवं वाद पत्र के संलग्न शपथ पत्र के अनुसार गोदी पुत्र है। वादी के चचेरे भाईयों प्रतिवादी संख्या 2 से 9 ने भी वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाता है तो अनापत्ति जाहिर की है।

अतः मौजा ग्राम क्यारा , पटवार क्षेत्र आमथला, तहसील देलदर के खसरा नंबर 173/102 कुल क्षेत्रफल 1.2645 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में वादी डुंगाराम का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया जाता है। इस निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। तद्नुसार डिक्री पारित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9 –3 –2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांलुखे गौरव रविन्द्र ,आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.03.12 16:19:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

पीठासीन अधिकारी श्री सांलुखे गौरव रविन्द्र, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 10/2022

1. श्री डुंगाराम गोदी पुत्र स्व. श्री ओदा जी, जाति गरासिया, निवासी क्यारा, मुदरला, तहसील देलदर।

वादी

बनाम

1. श्रीमती पाबु बाई पत्नि गोमाराम, जाति गरासिया, निवासी दांताफली, माण्ड़वाड़ा खालसा, तहसील पिण्ड़वाड़ा।
2. श्री प्रभुराम पुत्र स्व. श्री पूनाराम।
3. श्री केसाराम पुत्र स्व. श्री पूनाराम।
4. श्री बाबुराम पुत्र स्व. श्री पूनाराम।
5. श्री दिनेश पुत्र स्व. श्री पूनाराम।
6. श्री सोमाराम पुत्र स्व. श्री पूनाराम।
7. श्री वरदाराम पुत्र स्व. श्री सवाराम।
8. श्री नाथाराम पुत्र स्व. श्री सवाराम
9. श्री भीखाराम पुत्र स्व. श्री हीराराम।
   समस्त निवासीयान क्यारा, मुदरला, तहसील देलदर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर।

प्रतिवादीगण

दिनांकः— ७ .3 .2024

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजीर अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदई प्रतिवादी पैरोकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि मौजा ग्राम क्यारा , पटवार क्षेत्र आमथला, तहसील देलदर के खसरा नंबर 173/102 कुल क्षेत्रफल 1.2645 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में वादी डुंगाराम का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निचे.....×.....मुतलिक.....×.....बाबत.....×.....खर्चा इन मुकदमें के मय सूद वगैरह.....×..... फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....×..... .....×.....को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज दिनांक ७ —3 —२०२४ को जारी की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.03.12 16:19:02 IST
Reason: SelfAttested

(सांलुखे गौरव रविन्द्र ,आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर आबूपर्वत
(सिरोही)